

प्रेषक,

पी०के०पात्रो,
अपर राजिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नौडल अधिकारी,
वन भूमि डस्ट्रीब्यूशन, इन्डिशा नगर,
फारेसट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४

देहरादून: दिनांक: २० मार्च, 2015

विषय: जनपद-पिथौरागढ़ के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना के अंतर्गत श्रीठार्यानी कटपतिया से दोबॉस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ४.९३५ हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2367 / FP/UK/ROAD/7395/2015 दिनांक 24 फरवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद पिथौरागढ़ (आपदाग्रस्त जिला श्रेणी सूची में निर्धारित) में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना के अंतर्गत श्रीठार्यानी कटपतिया से दोबॉस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ४.९३५-हेठो वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ०न०-११-०९/९८-एफ० सी० दिनांक ०७ नवम्बर, 2014 में निहित प्रावश्यानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्वितीय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रवान करते हैं-

- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले मुद्दू-हेठो सिविल सोलम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में डस्टान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छ: माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नमान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०स०-५६६ एवं भारत सरकार पत्र सं०-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो यदी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- भारत सरकार पत्र सं० ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०वी०-२५२३० कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-११ भूतल रोड और काम्पलेक्स, फेज-१, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०स०-५६६ एवं भारत सरकार पत्र सं०५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-११ भूतल रोड और काम्पलेक्स, फेज-१, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में जमा की जाएगी।

- गई धनराशि का नदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी, बतिपूरक दृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास यृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत रवीकृति मान्य होगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कलाई रो अनुपालन किया जायेगा।
 8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्वासित शर्त का अनुपालन नहीं होने अध्या असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
 9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

मवदीय,

(पी०क०पा०त्री)

अपर सचिव।

संख्या: ११५ (१) / X-४-१५ / १(३०) / २०१५, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, एफ०आर०आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. नहलेखाकार, लेखा एवं हकंदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय बनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़, पी०एम०जी०एस०वाई०, पिथौरागढ़।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)

उप सचिव।